निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 42/2018 दावा
दायरा दिनांक :- 16-3-2018
निर्णय दिनांक :- 29-7-22

उनवान

1. कन्याबाई पत्नी हरिवल्लभ पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नयाहेड़ा सुल्तानपुर जिला कोटा
2. सुशीलाबाई पत्नी नारायण पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी खेड़ी श्यामपुरा तह. व जिला बारां

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी खेड़ी श्यामपुरा तह. बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा - 88, 89, 90, 188 RTA
निर्णय दिनांक :- 29.7.22

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री महेश प्रकाश गौतम - वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 RTA विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी क्र. 1 के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम हरिपुरा तह. बारां में आराजी ख.नं. 594/474 रकबा 1.60 हे. भूमि स्थित है जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी क्र. 1 वृद्ध एवं असहाय है तथा प्राय: बीमार रहने लगा है प्रतिवादी क्र. 1 की उक्त आराजी की देखभाल व्यवस्था एवं प्रतिवादी की वृद्धावस्था में देखरेख उठने बैठने दवा दारू आदि की व्यवस्था वादनीगण ही करती है क्योंकि प्रतिवादी क्र. 1 के वादनीगण के अलावा अन्य कोई नजदीक वारिस एवं कायम मुकाम नहीं है प्रतिवादी क्र. 1 की पत्नी का काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है प्रतिवादी क्र. 1 की वृद्धावस्था एवं मानसिक क्षीणता का फायदा उनके रिश्तेदार उठाना चाहते है तथा उनके खातेदारी की आराजी को हड़पना चाहते है इसी नीयत से प्रतिवादी क्र. 1 के रिश्तेदार द्वारा वादनीगण के विरूद्ध षडयन्त्र रचा जा रहा है तथा प्रतिवादी क्र. 1 को बहका फुसला के लेकर उनकी आराजी को

लगातार-2

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
बारां

खुर्द-बुर्द करना चाहते है इसलिए वादनी गण प्रार्थी वादी क्र. 1 की आराजी वर्णित मद 3. । वाद पत्र के लिए स्वामी विधिमान्य प्राप्त करने की अधिकारी है। रिश्तेदारान द्वारा कुछ दिन पूर्व भी प्रार्थी वादी क्र. 1 को बहला फुसलाकर आराजी वर्णित मद 3. । वाद पत्र को रहन बेचान करने का प्रयास किया गया था जिसकी सूचना मिलने पर वादुश्किल वादनी गण द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 को आराजी को खुर्द बुर्द करने से रोका गया - यदि प्रार्थी वादी क्र. 1 आराजी को खुर्द बुर्द कर देता है तो वादनी गण को भारी अपरिमित क्षति होगी तथा उनके विधिक एवं सांपत्तिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जावेंगे। वादनी गण उक्त आराजी के अविभक्त एक व तिहाई हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रार्थी वादी क्र. 1 वृद्ध होने से आराजी की देख रेख एवं ऊपर नीचे करने में सक्षम नहीं है तथा विगत 10 वर्षों से वादनीगण की उक्त आराजी पर अपने 1/3 - 1/3 हिस्से को उपभोग उपभोग कर रही है परन्तु वर्तमान में रिश्तेदारों द्वारा प्रार्थी वादी क्र. 1 को भ्रमित किया जा रहा है तथा - वादनी गण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बेजा व्यवधान उत्पन्न - किया जा रहा है। वाद कारण प्रार्थी वादी क्र. 1 द्वारा आराजी को रहन बेचान करने की धमकी देने पर अन्तिम बार दिनांक 10.3.2018 को उत्पन्न होना करार दिया जाता है। वादिया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन - किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजि० किया गया। प्रार्थी वादी गण को जरिये समन तलब किया गया। प्रार्थी गण बावजूद इत्तला के न्याया० में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हरीपुरा सम्वत 2070-73 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070-73, नकल नक्शा ट्रेस खाता सं. 66, पेश किया गया। साक्ष्य वादी के PW1 कन्याबाई, PW2 सुशीलाबाई के बयान कराये गया

बहस अभिभाषक वादी गण सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तह० बारां में स्थित है। जो प्रार्थी वादी क्र. 1 के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी वादी क्र. 1 के कोई लड़का नहीं है एक मात्र तीन लड़कियां है जो वादी गण है। वादिया गण के पिता प्रार्थी वादी क्र. 1 जगन्नाथ है जगन्नाथ जी को बहला फुसलाकर - कुछ रिश्तेदार उनकी जमीन का बेचान अपने नाम करवाना चाहते है जबकि जगन्नाथ जी की भूमि पर अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है वादिया गण के पिता वृद्ध है उनकी सोचने समझने की शक्ति कम है वे अधिकांश बीमार रहते है उनके देख भाल भी वादिया गण कर रही है प्रार्थी वादी क्र. 1

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

की पुत्रि है वादिया गण का 1/3-1/3 हिस्सा निर्विवाद है कि वादिया गण प्राप्त करने की अधिकारी है वादिया गण का वाद स्वीकार कर वादिया गण को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक व वादी गण सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम हरिपुरा संवत - 2070-73 खाता नं. 66 के अनुसार आराजी ख.नं. 594/474 रकबा 1.60 हे. भूमि प्रार्थी वादी गण। जगन्नाथ पुत्र हेमराज कौम बैरवा के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी वादी गण। के कोई लड़का नहीं होने से वादिया गण को लेकिन लड़कियां होने के कारण अपने पिता की जायदाद से अपना 1/3-1/3 हिस्सा प्राप्त करना चाहती है प्रार्थी वादी की ओर से न्याया. में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल व सबूत पेश नहीं किया जिससे विवादित भूमि पर वादिया का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो। वादिया गण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया गण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तह० बारां के ख.नं. 594/474 रकबा 1.60 हे. भूमि पर वादिया गण को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है प्रतिवादी गण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादिया गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय तहरीर किया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या 42/2018	धारा अंतर्गत 88, 89, 90, 188 RTA	निर्णय दिनांक 29.7.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री महेश प्रकाश गोतम -		अभिभाषक प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र मीणा एड.

वाद शीर्षक

1. कन्याबाई पत्नी हरिवल्लभ पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नापहेड़ा सुल्तानपुर जिला कोटा
2. सुशीलाबाई पत्नी नारायण पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी खेड़ी श्यामपुरा तह० व जिला बारां

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी खेड़ी श्यामपुरा तह० बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिया गण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके मौजा हरिपुरा तह० बारां के ख.नं. 5941 पांच रकबा 1.60 हे. पर वादिया गण को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है प्रतिवादी गण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादिया गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.7.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with CamScanner